कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक- भूप्रआ/स.मु./भूकर/11/8/1/85/पार्ट.-3/2409 दिनांक- 4-6-2001

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-929-943 दिनांक 28.3.2001 में वर्णित बिन्दु संख्या एक के सम्बन्ध में कई शंकाये उठाई गई हैं। अतः उक्त बिन्दु की विस्तृत व्याख्या नीचे दी जा रही है:

यदि ग्राम की सीमा में बनी हुई सड़क/आम रास्ते जो विभिन्न कृषकों की खातेदारी/गैर खातेदारी की भूमि में से होकर गुजर रही है और जिसका अंकन साबिक नक्शें में नहीं है, को नवीन अभिलेखों में एक पृथक खसरा नंबर दिया जावे और उस सड़क/रास्ते में जिन काश्तकारों का जो भी रकबा गया है उसे खोल दिया जाए। खसरा नंबर जिसमें होकर ऐसी सडक/रास्ता बना हुआ है के रकबे में से ऐसा रकबा कम कर लिया जाए।

उदाहरणार्थ-खसरा नंबर 10/3), 12/3), 15/5), 30/4), 25/6), 37/7) जो कि अलग-अलग खातेदारों के हैं प्रत्येक में से 5 बिस्वा भूमि सड़क/रास्ते में ली गई है तो उक्त खसरा नंबरान का रकबा क्रमशः 2 बीघा 15 बिस्वा, 2 बीघा 15 बिस्वा, 4 बीघा 15 बिस्वा, 3 बीघा 15 बिस्वा, 5 बीघा 15 बिस्वा, 6बीघा 15 बिस्वा दर्ज किया जाएगा और खसरा नंबर 40 जो कि सड़क/रास्ते को दिया गया है में कृषक के कालम में प्रत्येक काश्तकार का नाम लिखते हुए प्रत्येक की खातेदारी में 5,5,5---- बिस्वा लिखा जाएगा। भूमि की किस्म गैर मुमकिन सडक/रास्ता ही दर्ज किया जाएगा।

जिन खसरा नंबरा से रकबा कम किया गया है उसके आगे विशेष विवरण के कालम में जितना रकबा जिस खसरा नंबर (सड़क/रास्ते) में दर्ज किया गया है का उल्लेख किया जावे।

भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक- समसंख्यक/ 2410 से 2472 दिनांक-4-6-2001

प्रतिलिपि:- समस्त भू प्रबन्ध अधिकारी ---------- पालनार्थ ।

समस्त सहायक भू प्रबन्ध अधिकारीगण ------ पालनार्थ।

भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।